रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2015/माघ 17, 1936
No. 376] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2015/MAGHA 17, 1936

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2015

का.आ. 527(अ).—जबकि केन्द्र सरकार, पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में उल्लेख किया जाएगा) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत ऐसी वस्तुओं अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा उसका कुछ प्रतिशत आदेश में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उन पटसन पैकेजिंग सामग्री में आपूर्ति अथवा वितरण किए जाने के प्रयोजन से पैक किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत है ;

और जब कि केन्द्र सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटसन सामग्री में पैकेजिंग के मानदंडों की सिफारिश करने के लिए दिनांक 13 फरवरी, 2013 के का.आ. 360(अ), द्वारा स्थायी सलाहकार समिति का गठन कर दिया है;

और, जबकि केंद्र सरकार स्थायी सलाहकार समिति द्वारा उसको दी गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद इस बात से संतुष्ट है कि वर्ष 2014-15 (अर्थात 1 जुलाई, 2014 से 30 जून, 2015 तक) के लिए वस्तु अथवा वस्तुओं की श्रेणियां अथवा उसका कुछ प्रतिशत विनिर्दिष्ट करना, कच्चे पटसन और पटसन पैकेजिंग सामग्री के उत्पादन और इनके उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों के हित में आवश्यक है ;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्ष 2014-15 के लिए (अर्थात् 30 जून, 2015) तक नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को अनुसूची के कालम (3) में तद्नुरूपी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार न्यूनतम प्रतिशत में संवितरण की आपूर्ति के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाएगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	वस्तुएं	भारत में उत्पादित कच्चे पटसन से भारत में विनिर्मित पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक करने के लिए अपेक्षित वस्तुओं अथवा वस्तुओं की श्रेणी के कुल उत्पादन का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
(i)	खाद्यान्न	*उत्पादन का नब्बे प्रतिशत (90%)
(ii)	चीनी	उत्पादन का बीस प्रतिशत (20%)

* इस शर्त के साथ कि प्रथम दृष्टया, पूरी आवश्यकता के लिए मांग-पत्र केवल पटसन बोरों हेतु प्रस्तुत किया जाएगा तथा यदि पटसन मिलें मांग के अनुसार पटसन बोरों को उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं होंगी, तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा वस्त्र मंत्रालय के परामर्श से 10% तक की छूट अनुमेय होगी।

परन्तु उपर्युक्त प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

(क) विटामिन से युक्त चीनी;

(ख) वस्तुओं के निर्यात के लिए पैकेजिंग;

(ग) खाद्यान्न हेतु 10 कि.ग्रा. अथवा उससे कम मात्रा के छोटे उपभोक्ता पैक एवं चीनी हेतु 25 कि.ग्रा. अथवा उससे कम मात्रा के छोटे उपभोक्ता पैक; और

(घ) 100 कि.ग्रा. से अधिक की बल्क पैकेजिंग।

2. निर्यात के लिए पैक की गई चीनी किन्तु जिसे निर्यात नहीं किया जा सका, को खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग द्वारा आकलन के आधार पर तथा उनके अनुरोध पर इस आदेश के प्रचालन से छूट दी जाए।

3. पटसन पैकेजिंग सामग्री की कमी अथवा इसकी आपूर्ति में व्यवधान अथवा अन्य आकस्मिकता/अत्यावश्यकता की स्थिति में, वस्त्र मंत्रालय संबंधित उपभोक्ता मंत्रालयों के परामर्श से इन प्रावधानों में उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (3) के प्रावधानों के अतिरिक्त, खाद्यान्न के उत्पादन के अधिकतम (30 प्रतिशत) तक और आगे ढील दे सकता है।

4. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण के उद्देश्य के लिए 10 कि.ग्रा. तथा 25 कि.ग्रा. से अधिक मात्रा के खाद्यान्न के छोटे उपभोक्ता पैक को पटसन बोरों में, इस शर्त के अध्यधीन पैक किया जाएगा कि छोटी मात्राओं की पैकेजिंग के लिए ऐसे पटसन बोरे खाद्यान्न की पैकेजिंग हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सब्सिडी तथा प्रतिपूर्ति के कारण हाई डेन्सिटी पॉली एथिलीन (एचडीपीई)/पॉली प्रोपीलीन (पीपी) बोरों की तुलना में अधिक लागत प्रतिस्पर्धी हों।

[फा. सं.9/2/2015-पटसन]

ए. मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 13th February, 2015

S.O. 527(E).—Whereas, the Central Government under sub-section (1) of Section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987) (hereinafter referred to as the said Act) is empowered to specify the commodities or class of commodities or percentage thereof to be packed for the purpose of its supply or distribution in such jute packaging material as may be specified in the order, considering the recommendations of the Standing Advisory Committee;

And, whereas, the Central Government, in exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 4 of the said Act, has constituted the Standing Advisory Committee *vide* number S.O. 360(E), dated the 13th February, 2013, to recommend the norms of packaging in jute material;

And, whereas the Central Government, after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, is satisfied that it is necessary in the interest of production of raw jute and jute packaging material, and of persons engaged in the production thereof, to specify the commodity or class of commodities and percentage thereof to be packed in jute packaging material for the year 2014-15 (i.e. from 1st July, 2014 to 30th June, 2015);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 read with sub-section (1) of Section 16 of the said Act, the Central Government hereby directs that the commodities specified in column (2) of the Schedule below, shall be packed in jute packaging material for supply or distribution, in such minimum percentage as specified in corresponding entries in column (3) of the Schedule, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette for the year 2014-15 i.e., upto 30th June, 2015.

SCHEDULE

Sl.No.	Commodities	Minimum percentage of total production of commodity or class of commodities required to be packed in jute packaging material manufactured in India from raw jute produced in India
(1)	(2)	(3)
(i)	Foodgrains	*Ninety per cent (90%) of the production
(ii)	Sugar	Twenty per cent (20%) of the production

*With the stipulation that in the first instance, the indents for the whole requirement would be placed for the jute bags and in case the jute mills would not be able to provide the jute bags as per the requisition, then a dilution upto10% would be permissible by the Department of Food and Public Distribution in consultation with the Ministry of Textiles.

Provided that the above provisions shall not apply to—

(a) sugar fortified with vitamins;

(b) packaging for export of the commodities;

(c) small consumer packs of ten kilogram and below for foodgrains and twenty-five kilogram and below for sugar; and

(d) bulk packaging of more than one hundred kilograms.

2. Sugar packed for export but which could not be exported may be exempted from the operation of this order on the basis of an assessment by and request of the Department of Food and Public Distribution.

3. In case of any shortage or disruption in supply of jute packaging material or in other contingency or exigency, the Ministry of Textiles may, in consultation with the user Ministries concerned, relax these provisions further, up to a maximum of thirty per cent (30%) of the production of foodgrains over and above the provisions at column (3) of the Schedule above.

4. Small consumer packs of quantity above 10 kilograms and upto 25 kilograms for the packaging of foodgrains be packed in the jute bags, for the purpose of distribution of foodgrains under the Food Security Act, subject to the condition that such jute bags for packaging of smaller quantities are more cost competitive as compared to the High Density Poly Ethylene (HDPE) / Poly Propylene (PP) bags factoring in the subsidy and reimbursement provided by the Government of India for packaging of foodgrains.

[F. No. 9/2/2015-Jute]

A. MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.